



2026:AHC:20829

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या – 1264 सन् 2026

दिशांत शर्मा

.....याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं)

बनाम

भारत संघ और 4 अन्य

.....उत्तरादाता(उत्तरादाताओं)

याचिकाकर्ता(याचिकाकर्ताओं) के अधिवक्ता : आशुतोष कुमार गुप्ता, भृगुराम जी, लक्ष्मी शंकर यादव
उत्तरादाता(उत्तरादाताओं) के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., अनुपम कुमार

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति, विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री आशुतोष कुमार गुप्ता और उत्तरादाताओं के विद्वान अधिवक्ता, श्री अनुपम कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, यद्यपि उन्हें इस संबंध में नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है।
3. इस याचिका में उत्तरादाताओं को दावे पर विचार करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई है।
4. उत्तरादाताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम कुमार ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का दावा विचाराधीन है और इस पर प्रथम दृष्टया तीसरे उत्तरादाता, पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) (प्रशिक्षण एवं भर्ती) समूह केंद्र, ग्राम खेड़ा, पोस्ट बहलगढ़, सोनीपत, हरियाणा द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है और वे इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं।
6. दोनों पक्षकारों के तर्कों और उनके रुख पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन तीसरे उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाए। तीसरे उत्तरदाता को अभ्यावेदन प्राप्त होने पर दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय कानून के अनुसार, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने के भीतर करना होगा। यदि तीसरे उत्तरदाता की

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



राय है कि मामले का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है तो कागजात उन्हें भेज दिए जाएंगे।

7. यह कहना अनावश्यक है कि रिट याचिका का निर्णय उत्तरदाताओं से कोई प्रतिक्रिया मांगे बिना किया गया है। अतः, इस आदेश को पारित करना यह नहीं माना जाना चाहिए कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोषों पर विचार किया है।

8. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है।

30 जनवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति, विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"